

## बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. जन्मस्थल—
4. जन्मतिथि/आयु—
5. राष्ट्रीयता—
6. पता:—
  1. वर्तमान
  2. स्थायी
7. व्यवसाय (सरकारी सेवा में होने की स्थिति में पदनाम सहित उल्लेख किया जाए)
8. कार्यक्षेत्र (दादरा/गजल/ठुमरी की गायिकी विधा में प्रस्तुति देने का अनुभव)
9. पूर्व में प्राप्त सम्मान/पुरस्कार का विवरण
10. विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण  
(200 शब्दों से अधिक न हो)

प्रधक.

अनीता सी० मेश्राम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

लेवा में

निदेशक

संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,

लखनऊ भवन, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: २४ अगस्त, २०१५

२.१५ अनुभाग  
विषय- बैगम अख्तर पुरस्कार के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त।

भवोदय,

पुस्तिक्रम उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1806/चार-2015-01(पुरस्कार) / 14 दिनांक 02 फरवरी, 2015 के माध्यम से प्रदेश में दादरा, दुमरी एवं गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान एवं विशिष्ट गायक को "बैगम अख्तर पुरस्कार" दिये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। तदनुक्रम सम्यक् विचरोपणात् यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।

२.१५ दिनांक 02 फरवरी, 2015 के माध्यम से निर्धारित पूर्व मार्गदर्शी सिद्धान्त को अवक्षित करते हुए उसके स्थान पर संलग्न रांशोधित/नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्त तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।

जूप्या उपरोक्त लिये गये निर्णय के अनुसार आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कार्य करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवोदय,  
मृज  
(अनीता सी० मेश्राम)  
सचिव।

संख्या- (1) / चार-२०१५ तददिनांक

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
२. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
३. रामराम गण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
४. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
५. कुलपति, भातखण्ड संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
६. निदेशक, संग्रहालय/पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
७. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
८. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ।
९. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र, सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद।
१०. सचिव, राज्य ललित कला अकादमी/उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
११. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
१२. गोपन अनुभाग-१ को उनके अशासकीय पत्र संख्या-४/२/२/२०१५-सीएक्स०(१) दिनांक 28 जनवरी, 2015 के क्रम में।
१३. वित्त ई-७ अनुभाग, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
१४. गार्ड फाइल।

आङ्गा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)

अनु सचिव

"बेगम अख्तर पुरस्कार के संशोधित/नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्त"

शीर्षक : यह पुरस्कार "बेगम अख्तर पुरस्कार" के नाम से जाना जायेगा।

उद्देश्य : प्रतिवर्ष दादरा, तुमरी एवं गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान विशिष्ट गायक को जिसने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्ट आयाम स्थापित किये हों तथा राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया हो, को सम्मानित करता।

संख्या एवं राशि : बेगम अख्तर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष रागान्यतः एक सुयोग्य गायक कलाकार को दिया जायेगा किन्तु योग्यता के आधार पर संख्या बढ़ायी जा सकती है। इसके अन्तर्गत चयनित कलाकार को ₹०५.०० लाख (रूपया पाँच लाख मात्र) नगद धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

अर्हताएँ : बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए विचार किये जाने वाले कलाकार के लिए निम्न अर्हताएँ आवश्यक हैं:-

(1) वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अथवा उसकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश होना चाहिये।

(2) कलाकार की आयु ४० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(3) कलाकार को अपनी प्रतिभा की दीर्घ साधना एवं श्रेष्ठ उपलब्धि के भरसक निर्विवाद मानदण्डों के आधार पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होनी चाहिए।

(4) यह पुरस्कार कलाकार के गायन के क्षेत्र में सम्पूर्ण उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा न कि किसी एक विशिष्ट संरचना के लिए।

नामांकन/चयन प्रक्रिया : बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए नामांकन/चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(1) प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक ₹०प्र०

संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, भातखण्डे संगीत संस्थान संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या

राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, गीत एवं नाटक प्रभाग लखनऊ, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद लखनऊ

आकाशवाणी लखनऊ, दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के संगीत संकाय के डीन/हेड तथा प्रदेश के समस्त

मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से निर्धारित प्रारूप प्राप्त किसी अन्य नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक यदि किसी अन्य स्रोत से भी नामांकन प्राप्त होते हैं तो उन पर भी विचार किया जा सकता है।

- (1) प्रारूप मे सरतुतकर्ता द्वारा सरतुत कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- (2) प्राप्त नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा गठित परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा।
- (3) परीक्षण समिति द्वारा उपयुक्त नामों की संस्कृति की जायेगी जिसमे प्रत्येक विधा के दो-दो विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को भी रखा जायेगा। समिति की संस्कृति वो निदेशक, संस्कृति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
- (4) निदेशक, संस्कृति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा। निर्णय लेने हेतु मा० शासन स्तर पर निदेशक, संस्कृति रो प्राप्त संस्कृतियों पर निर्णय लेने हेतु मा० भारती, संस्कृति विभाग की अधिक्षता में गिनतिलिखित चयन समिति गठित वो जायेगी:-
- |   |              |
|---|--------------|
| <p>(i) मा० मंत्री, संस्कृति विभाग</p> <p>(ii) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग,</p> | अध्यक्ष      |
| <p>उ0प्र0 शासन।</p>   | सदस्य        |
| <p>(iii) निदेशक,</p>  | संयोजक सदस्य |
- (5) संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) चयन समिति द्वारा प्राप्त नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के नामों की संस्कृति मा० मुख्यमंत्री जी को भेजी जायेगी।
- (7) मा० मुख्यमंत्री जी को प्राप्त नामों के अतिरिक्त किसी सुयोग्य कलाकार के नाम को बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार करने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
- (8) बेगम अख्तर पुरस्कार के चयन के लिये मा० मुख्यमंत्री जी का निर्णय अन्तिम होगा।

#### सम्मान समारोह :

- (1) शासन द्वारा चयनित कलाकार को बेगम अख्तर पुरस्कार एक भव्य समारोह में दिया जायेगा।
- (2) सम्मान समारोह में गरिमा के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- (3) सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु चयनित कलाकार को आने-जाने हेतु वायुयान या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेल का किराया (निवास स्थान से कार्यक्रम के स्थान तक) अनुमन्य होगा तथा दो दिन के लिए उपयुक्त होटल/अतिविशिष्ट अतिथि गृह में भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जायेगी। पुरस्कार हेतु चयनित कलाकार के अत्यन्त वृद्ध/अस्वरथ होने की दशा में एक सहायक साथ लाने की अनुमन्यता होगी, जिसे चयनित कलाकार के समान ही आने-जाने एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- बजट : बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए संरकृति विभाग के आय-व्ययक में आवश्यक बजटीय व्यवरथा की जायेगी।
8. स्मारिका : बेगम अख्तर पुरस्कार समान समारोह के अवसर पर एक रमारिका का प्रकाशन भी किया जायेगा।
9. उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु मा० मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।



(अनुपिता सिंह मेहता)  
सचिव